

यह निर्णय पूरी तरह से अलग परिस्थितियों में लिया गया था। सबसे पहले, यह एक तथ्य के रूप में पाया गया कि भेदभाव था। दूसरा, खंड पीठ के समक्ष मामले में याचिकाकर्ताओं ने राशन कार्ड और बिजली के बिलों आदि के रूप में सबूत पेश किए थे ताकि यह साबित किया जा सके कि वे लंबे समय से विशेष स्थानों पर रह रहे थे। वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वास्तव में, केस फाइल के अवलोकन से पता चलता है कि तथ्यात्मक स्थिति पूरी तरह से अलग है। लंबे समय तक रहने का संकेत देने वाला कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। यह पूरी तरह से निराधार दावा किया गया है कि जमीन खरीदी गई थी या पट्टे पर ली गई थी। यह भी झूठा आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता लाइसेंसधारी हैं और उन्हें प्रशासन द्वारा समायोजित किया गया था। इन दलीलों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया है और याचिकाओं में कथनों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। इसलिए, तर्कों को अपनाया नहीं जा सकता है।

(22) किसी भी वकील द्वारा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(23) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम इनमें से किसी भी याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। नतीजतन, इन्हें खारिज कर दिया जाता है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को वैकल्पिक व्यवस्था करने और खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

आर.एन.आर

माननीय न्यायमूर्ति एम. एल. सिंघल के समक्ष, जे.

श्रीमती निर्मल-वादी/याचिकाकर्ता

बनाम

लखपत सिंह और अन्य-उत्तरदाता/प्रतिवादी

C.R. No. 938 of 1999

11 जुलाई, 2001

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-0.39 Rl 1 और 2-बेचने का समझौता - समझौते के उल्लंघन में किसी अन्य को बेची गई भूमि-साक्ष्य के प्रश्न-खरीदार के खिलाफ निषेधाज्ञा को अस्वीकार करने वाले न्यायालय-अस्थायी निषेधाज्ञा-विवेकाधिकार-प्रयोग-उच्च न्यायालय को विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र है यदि निम्न न्यायालय ने अपने विवेकाधिकार का ठीक से प्रयोग नहीं किया है-अदालत अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के स्तर पर मामले का पूर्व-निर्णय नहीं ले सकती है-अपूर्ण क्षति, प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन जैसे सभी तत्व याचिकाकर्ता के पक्ष में -खरीदार के खिलाफ निषेधाज्ञा देते समय याचिका को अनुमति दी गई है।

अभिनिर्णीत किया जाता है कि प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि वादी के पास मामला शत-प्रतिशत होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वादी को आना चाहिए था जिसमें जाने की आवश्यकता है और वह दहलीज पर फेंकने के लायक नहीं है। सुविधा के संतुलन का सिद्धांत भी वादी के पक्ष में है। यदि उसे अंतरिम निषेधाज्ञा की अनुमति नहीं दी जाती है और संपत्ति का आगे अंतरण किया जाता है, तो वादी को उनसे संपत्ति वापस पाने के लिए प्रतिवादियों के साथ मुकदमेबाजी में खुद

को शामिल करना होगा। यदि उसे अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के स्तर पर, अदालत किसी भी पक्ष के मामले का पूर्व-निर्णय नहीं ले सकती है, लेकिन अदालत को अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के समर्थन में/या अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के खिलाफ पक्षकारों की दलीलों और रिकॉर्ड पर जाएँ साक्ष्य पर जाना होगा।

(पैरा 9)

श्री एस. सी. कपूर, याचिकाकर्ता के वकील लोकेश सिंघल, वरिष्ठ अधिवक्ता, के साथ।

आई. के. मेहता, के. के. मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादीगण 1 और 3 से 6 के लिए अधिवक्ता।

मनोज बजाज, प्रतिवादी न. 2 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एम. एल. सिंघल जे.

(1) 29 मार्च, 1997 को श्रीमती निर्मल पत्नी मांगे राम ने चेत राम के बेटे लखपत सिंह, भीरन सिंह की विधवा कलावती और उसके बेटों युद्धवीर सिंह, गिरराज सिंह, तेजवीर सिंह और नंद किशोर के खिलाफ इन आरोपों पर कि श्रीमती. कलावती गाँव सारण की राजस्व संपदा में स्थित 34 कनाल 17 मरिया की भूमि के आधे हिस्से की मालिक है, जैसा कि वाद पत्र के पैरा 1 में विस्तृत है, स्थायी निषेधाज्ञा के परिणामी राहत के साथ विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर किया। श्रीमती कलावती ने 13 दिसंबर, 1995 को उपरोक्त भूमि में से 12 कनाल 6 मरिया मापने वाली 34 कनाल 17 मरिया की भूमि जिसकी 20 जुलाई, 1982 और 6 अगस्त, 1982 के दीवानी अदालत के आदेशों के आधार पर के आधार पर वह कब्जा सहित मालिक थी उसके (निर्मल) के साथ रु. 6,15,000 यानी 4 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से बिक्री का समझौता किया। 13 दिसम्बर, 1995 के बिक्री समझौते के नियमों और शर्तों के अनुसार, बिक्री विलेख को शेष बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति पर 30 मार्च, 1997 तक निष्पादित और पंजीकृत किया जाना था। श्रीमती. कलावती को निष्पादन के समय बिक्री के उक्त समझौते के समय रु. 50,000 पेशगी के रूप में दिए। इसके अलावा उन्हें 19 अप्रैल, 1996 को आंशिक भुगतान के रूप में 30,000 रुपये भी मिले। इस प्रकार कलावती को उससे कुल रु 80,000 मिले। 5 मार्च, 1997 को निर्मल कलावती प्रतिवादी के घर गई और उससे अनुरोध किया कि वह उस समझौते में निर्धारित 30 मार्च, 1997 को उक्त समझौते के अनुसरण में उसके पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए तैयार रहे। कलावती ने किसी न किसी बहाने से उसे टाल दिया। उन्हें पता चला कि 12 कनाल 6 मरला भूमि, जो बिक्री के समझौते का विषय थी, कलावती द्वारा अपने बेटों के साथ मिलकर अपने बेटे युद्धवीर सिंह और अन्य लोगों के पक्ष में हस्तांतरित की जा रही थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, 10 मार्च, 1997 को सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग), फरीदाबाद की अदालत में उनके बेटों ने उनके खिलाफ घोषणा के लिए तेजवीर सिंह और अन्य बनाम श्रीमती कलावती शीर्षक का मुकदमा दायर किया। निर्मल ने उस मुकदमे में शामिल होने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 के तहत एक आवेदन किया। तेजवीर सिंह और अन्य लोगों ने 12 मार्च, 1997 को उस मुकदमे को वापस ले लिया था। कलावती ने अपने बेटों के साथ मिलकर उस समझौते का सम्मान नहीं किया और वादपत्र के पैरा 1 और 2 में विस्तृत भूमि में से 7 कनाल 2 मरले की उस भूमि को 13 मार्च, 1997, 14 मार्च, 1997 के पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से रु 4,44,000 में प्रतिवादी नंबर 1, लखपत सिंह को बेच दिया (यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि शिकायत के पैरा 2 में, उसने उस भूमि का वर्णन किया है जो वह उसे

खरीदने के लिए 13 दिसंबर, 1995 के समझौते के अनुसार सहमत हुई थी। वह हमेशा समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक रही है। जहां तक उसके अधिकारों का संबंध है, 7 कनाल 2 मारिया की भूमि के संबंध में 13/14 मार्च, 1997 का बिक्री विलेख अवैध, अमान्य और निष्क्रिय है। 13 मार्च, 1995 के बिक्री समझौते के निष्पादन के बाद, कलावती ने 19 अप्रैल, 1996 को 62, 75 और 74 वर्ग गज के क्षेत्र के संबंध में रु. 52, 750 के लिए 3 बिक्री विलेख भी निष्पादित/पंजीकृत किए। वादी के साथ सहमति/परामर्श के साथ उन्होंने अपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी श्रीमती नेमावती पत्नी जोगिंदर सिंह के माध्यम से 23 जुलाई, 1996 को 64,64 और 580 वर्ग गज के क्षेत्र के संबंध में विभिन्न व्यक्तियों को 250.00 प्रति वर्ग गज के हिसाब से रु 1,77,000 के लिए 3 बिक्री विलेख भी निष्पादित/पंजीकृत किए। श्रीमती कलावती को वादी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी श्रीमती नेमावती की उपस्थिति में कुल रु. 2, 29, 750.00 का बिक्री प्रतिफल प्राप्त हुआ है। इस तरह, कलावती ने वादी की सहमति से 919 वर्ग गज यानी 1 कनाल मरला भूमि और वादी की जानकारी और सूचना के बिना 13/14 मार्च, 1997 को 7 कनाल 2 मरला लखपत सिंह को हस्तांतरित/बेच दिया है, इस प्रकार, 13/14 मार्च, 1997 का बिक्री विलेख वादी के अधिकारों/हितों पर बाध्यकारी नहीं है। वह 13 मार्च, 1995 के अनुबंध/समझौते को लागू करने की हकदार है, जिसमें लखपत सिंह प्रतिवादी को 4 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से बेची गई 7 कनाल 2 मरला सहित 10 कनाल 15-1/2 मरला की शेष भूमि शामिल है। वादपत्र के साथ, वादी ने लखपत सिंह और अन्य प्रतिवादियों 1 से 5 को मुकदमे की संपत्ति यानी 10 कनाल 15-1/2 मरला भूमि, जिसमें लखपत सिंह प्रतिवादी को बेची गई 7 कनाल 2 मरिया की भूमि शामिल है, को अलग करने से रोकने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के साथ पठित आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत एक आवेदन किया।

(2) 19 मई, 1998 के आदेश के माध्यम से, सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), फरीदाबाद ने लखपत सिंह प्रतिवादी द्वारा खरीदी गई 7 कनाल 2 मरला की भूमि के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया। कलावती और अन्य प्रतिवादियों को शेष भूमि को अलग करने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी। यह भी उल्लेख किया गया था कि मुकदमे के लंबित रहने के दौरान मुकदमे की संपत्ति का हस्तांतरण होने की स्थिति में मुकदमे की संपत्ति का हस्तांतरण करने वाले पक्ष पर लिस पेन्डेन्स का सिद्धांत लागू होगा। श्रीमती निर्मल (वादी) ने अपील की जिसे फरीदाबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 16 नवंबर, 1998 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया। फिर भी संतुष्ट नहीं, श्रीमती निर्मल ने इस अदालत में पुनरीक्षण किया है जिसके तहत उन्होंने प्रार्थना की है कि आदेश 39 नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को पूरी तरह से अनुमति दी जाए और प्रतिवादीगण प्रतिवादियों को विवाद में भूमि का और हस्तांतरण करने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा दी जाए।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वह 13 दिसंबर, 1995 को बेचने के लिए एक समझौता है, जिसके तहत कलावती ने उनके पक्ष में 4 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से 12 कनाल 6 मरला भूमि की बिक्री विलेख को निष्पादित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी जिसमें से कलावती को 13 दिसंबर, 1995 को रु 50,000 और अन्य 19 अप्रैल, 1996 को रु 30,000 पेशगी के रूप में मिले थे। शेष बिक्री प्रतिफल की प्राप्ति पर उन्हें 30 मार्च, 1997 को या उससे पहले बिक्री विलेख निष्पादित करना था। यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता को 12 कनाल 6 मरला की भूमि के कब्जे में रखा गया था और बेचने के लिए उस समझौते का उल्लंघन करते हुए, उसने लखपत सिंह प्रतिवादी-उत्तरदाता को 13/14 मार्च, 1997 के बिक्री विलेख के माध्यम से 7 कनाल 2 मरला की भूमि बेच दी, हालांकि वह कलावती को शेष बिक्री प्रतिफल का भुगतान करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक थी और उससे बिक्री विलेख प्राप्त करने के लिए तैयार थी और 5 मार्च, 1997 को वह कलावती के पास गई और उससे अनुरोध किया कि वह 30 मार्च, 1997 को या उससे पहले उसके पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए तैयार रहे और शेष बिक्री राशि प्राप्त करें। यह प्रस्तुत किया गया था कि कलावती द्वारा लखपत सिंह के पक्ष

में निष्पादित बिक्री विलेख उन पर बाध्यकारी नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया था कि कलावती ने अपनी सहमति से 6 बिक्री विलेखों के माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों को भूमि बेची, जो 12 कनाल 6 मरला मापने वाली भूमि में से 1 कनाल 10-1/2 मरला क्षेत्र है करती है, जिसे वह उसे बेचने के लिए सहमत हुई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि कलावती द्वारा प्रतिवादी लखपत सिंह के पक्ष में 7 कनाल 2 मरला भूमि की बिक्री उसके लिए बाध्यकारी नहीं थी क्योंकि यह 13 दिसंबर, 1995 के समझौते के उल्लंघन में थी। प्रस्तुत किया गया था कि श्रीमती निर्मल को विशेष रूप से 10 कनाल 15-1/2 मरला मापने वाली भूमि के संबंध में 13 दिसंबर, 1995 के समझौते को लागू करने का अधिकार था, जिसमें कलावती द्वारा प्रतिवादी लखपत सिंह को बेची गई 7 कनाल 2 मरला भूमि शामिल है। यह प्रस्तुत किया गया था कि वह लखपत सिंह आदि प्रतिवादी 1 से 6 के खिलाफ यानी लखपत सिंह, कलावती और उनके बेटों को मुकदमे की भूमि यानी 10 कनाल 15-1/2 मरला की भूमि को किसी भी तरह से अलग करने/स्थानांतरित करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का दावा करने के अपने अधिकार के भीतर थी।

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि लखपत सिंह और अन्य लोगों को मुकदमे के लंबित रहने के दौरान 10 कनाल 15-1/2 मरला की भूमि को हस्तांतरित करने की अनुमति दी जाती है, तो इससे मुकदमेबाजी में वृद्धि होगी। यदि लखपत सिंह और अन्य लोग 10 कनाल 15-1/2 मरला भूमि को हस्तांतरित करते हैं तो वह 13 दिसंबर, 1995 के समझौते के उल्लंघन में होगा और श्रीमती निर्मल को उनसे उस भूमि को वापस पाने के लिए अन्य संक्रमणग्राही लोगों के खिलाफ मुकदमा लाना होगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि मामले के पक्ष और न्याय के हित इस तरह के अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान की मांग करते हैं और यदि ऐसा अस्थायी निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो लोग दंड से मुक्त होकर भाग सकते हैं और उनके द्वारा गंभीरता से किए गए समझौते का पालन करने से इनकार कर सकते हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि संपत्ति को वैसे ही संरक्षित किया जाना चाहिए जैसे वह है।

(5) दूसरी ओर, लखपत सिंह के विद्वान वकील ने कहा कि वह रु. 4,40,000 के प्रतिफल के बदले एक प्रामाणिक खरीदार हैं। जिस समय उन्होंने 7 कनाल 2 मरला की यह भूमि खरीदी थी, उस समय उन्हें श्रीमती के पक्ष में 13 दिसंबर, 1995 को हुए कथित समझौते की कोई जानकारी या नोटिस नहीं था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि श्रीमती निर्मल, कलावती की बेटी की बेटी है, इस प्रकार, उसने कथित तौर पर झूठा समझौता किया और कहा कि उसकी नानी ने उसके पक्ष में निष्पादित किया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह मानते हुए कि श्रीमती निर्मल के पक्ष में समझौता हुआ था, श्रीमती निर्मल को लखपत सिंह को उस संपत्ति का सौदा करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है, जो उसने प्रामाणिक रूप से और प्रतिफल देकर खरीदी थी। यह केवल बेचने का समझौता है। जब तक बिक्री विलेख को कलावती द्वारा श्रीमती निर्मल के पक्ष में निष्पादित करने का आदेश नहीं दिया जाता, उसे इस संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार नहीं मिलता और उसे कोई अधिकार नहीं दिया जाता है।

(6) कलावती के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने श्रीमती निर्मल द्वारा स्थापित किसी भी समझौते को कभी लागू नहीं किया। वह 80 वर्ष की हैं और पूरी तरह से अंधी हैं। इसके अलावा, वह अनपढ़ हैं। उन्होंने कभी भी श्रीमती निर्मल के पक्ष में कोई समझौता नहीं किया और न उन्हें कोई भी प्रीतफल प्राप्त हुआ। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उसने लखपत सिंह को 7 कनाल 2 मरला जमीन रु 4,44,000 रुपये 13 मार्च, 1997 को बिक्री विलेख के माध्यम से उनके बेटों तेजवीर सिंह, युद्धवीर सिंह और गिरराज सिंह की सहमति से उनकी उपस्थिति में बेच दी है। यह प्रस्तुत किया गया था कि वास्तव में उनका छोटा बेटा नंद किशोर उनके द्वारा की गई बिक्री से खुश नहीं था। उसने पुलिस थाने में बयान दिया कि उसका छोटा बेटा उसे अपने घर ले गया था और उसकी संपत्ति हड़पने के लिए विभिन्न कागजों पर उसके अंगूठे के निशान प्राप्त करता था और उस पर अनुचित प्रभाव डाल रहा था। उसने पुलिस को यह भी बताया कि वह अपने बेटे तेजवीर सिंह, गिरराज सिंह और युद्धवीर सिंह के साथ खुशी-खुशी रह रही थी और उसने लखपत सिंह को 7 कनाल 2 मरला जमीन अपनी इच्छा से बेच दी थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि इस

न्यायालय को नीचे की अदालतों में निहित विवेकाधिकार के प्रयोग में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह पाया न जाए कि नीचे की अदालतों में निहित विवेकाधिकार का प्रयोग उनके द्वारा इस तरह से किया गया है कि अन्याय किया गया हो।

(7) यदि नीचे की अदालतों अपने विवेक का ठीक से प्रयोग किया है यह सच है कि इस अदालत को नीचे की अदालतों द्वारा विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। *गुरु नानक एजुकेशन ट्रस्ट और अन्य बनाम बलबीर सिंह और अन्य* (1) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "अपील की अदालत आम तौर पर

विचारण न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने विवेकाधिकार को उनके स्थान पर डालेगा। हस्तक्षेप उचित है यदि निचली अदालत मनमाने ढंग से या विकृत रूप से, मनमौजी रूप से या ठोस कानूनी सिद्धांतों की अवहेलना में या सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड पर विचार किए बिना कार्य करती है। एक ही तथ्यों और साक्ष्य पर अपील न्यायालय के अलग निष्कर्ष पर आने की संभावना हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहराएगी।"

(8) इस मामले में, श्रीमती निर्मल याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया कि कलावती ने उसे 12 कनाल 6 मरला जमीन ₹ 6, 15, 000.00 रुपये में बेचने पर सहमति व्यक्त की थी जिसमें से उसने ₹ 80,000 उसे दे दिए थे और बेचने के लिए उस समझौते का उल्लंघन करते हुए, कलावती ने 7 कनाल 2 मरला जमीन लखपत सिंह को बेच दी और वह 5 कनाल 4 मरला कम 1 कनाल 10-1/2 मरला की शेष जमीन भी बेचना चाहती थी (यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि 1 कनाल 10-1/2 मरला को कलावती ने श्रीमती निर्मल ने अपने नामांकित व्यक्तियों की सहमति से बेच दिया है)।

(9) श्रीमती निर्मल के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला था। सुविधा का संतुलन भी उनके पक्ष में था। "अपूर्ण क्षति का सिद्धांत" भी उनके पक्ष में था। उनके पक्ष में बेचने का एक समझौता दिनांक 13 दिसंबर, 1995 का हुआ था, जो कथित है कि कलावती द्वारा निष्पादित किया गया था। उस समझौते में यह रद्द कर दिया गया था कि कलावती श्रीमती के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करेगी। समझौते में यह शर्त थी कि कलावती 30 मार्च, 1997 को या उससे पहले श्रीमती निर्मल के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करेगी। कलावती ने 13/14 मार्च, 1997 के बिक्री विलेख के माध्यम से लखपत सिंह को 7 कनाल 2 मरला जमीन बेची, जो प्रथम दृष्टया उस समझौते का उल्लंघन था। लखपत सिंह के पक्ष में बिक्री अप्रभावित रहेगी यदि लखपत सिंह यह साबित करने में सक्षम हो जाता है कि वह प्रतिफल बदले वास्तविक खरीदार था और उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके द्वारा खरीदी गई भूमि 13 दिसंबर, 1995 को श्रीमती निर्मल के पक्ष में बेचने के समझौते का विषय थी। यह साक्ष्य का सवाल है कि क्या उन्होंने 13 मार्च, 1997 को प्रतिफल के बदले 7 कनाल 2 मरला भूमि को प्रामाणिक रूप से खरीदा था और उन्हें 13 दिसंबर, 1995 के समझौते के बारे में पता नहीं था। यह भी साक्ष्य का सवाल है कि क्या कलावती ने वास्तव में 13 दिसंबर, 1995 को श्रीमती निर्मल के साथ 12 कनाल 6 मरला भूमि बेचने का समझौता किया था। यह भी सबूत का सवाल है कि क्या उसे ₹ 50, 000.00 13 दिसंबर, 1995 को पेशगी के रूप में श्रीमती निर्मल से मिले थे। यह भी सबूत का सवाल है कि क्या उसे 30, 000.00 रुपये की एक और राशि 19 अप्रैल, 1996 को श्रीमती निर्मल से मिली थी। इस प्रकार श्रीमती निर्मल का मामला दहलीज पर फेंकने के लिए उत्तरदायी नहीं था। प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि वादी के पास शत-प्रतिशत मामला होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि वादी के पास कुछ मामला होना चाहिए जिसमें जाने की आवश्यकता है और जो दहलीज पर फेंकने के लायक नहीं है। "सुविधा संतुलन का सिद्धांत" भी श्रीमती निर्मल के पक्ष में है। यदि उन्हें अंतरिम निषेधाज्ञा की अनुमति नहीं दी जाती है और संपत्ति को लखपत सिंह द्वारा आगे हस्तांतरित किया जाता है या 10 कनाल 15-1/2 मरला कम 7 कनाल 2 मरला वाली शेष भूमि कलावती द्वारा हस्तांतरित की जाती है, तो श्रीमती निर्मल को उनसे संपत्ति वापस पाने के लिए उनके साथ मुकदमेबाजी में खुद को शामिल करना होगा। यदि उन्हें अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है, तो श्रीमती निर्मल को अपूर्ण क्षति उठानी पड़ेगी। अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के स्तर पर, अदालत किसी भी पक्ष के मामले का पूर्व-निर्णय नहीं ले सकती है, लेकिन अदालत को अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के समर्थन में/या अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुदान के खिलाफ पक्षकारों की दलीलों और रिकॉर्ड पर लाई

गए साक्ष्य पर जाना होगा।

(10) ऊपर दिए गए कारणों से, इस पुनरीक्षण को अनुमति दी जाती है। श्रीमती निर्मल को लखपत सिंह को कलावती से खरीदी गई 7 कनाल 2 मरला भूमि को किसी भी तरह से हस्तांतरित करने से रोके जाने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है जो उन्होंने 13/14 मार्च, 1997 के बिक्री विलेख के माध्यम से कलावती से खरीदी थी। कलावती को 3 कनाल 13-1/2 मरला मापने वाली भूमि को हस्तांतरित करने से रोक दिया जाता है, जो अभी भी उसके पास है, यानी 10 कनाल 15-1/2 मरला कम 7 कनाल 2 मरला भूमि जिसे उसने लखपत सिंह को 13/14 मार्च, 1997 के बिक्री विलेख के अनुसार बेच दिया है। अस्थायी निषेधाज्ञा मुकदमे के निपटारे तक सुनिश्चित रहेगा।

एस.सी.के.

माननीय न्यायमूर्ति जवाहर लाल गुप्ता और आशुतोष मोहंता के समक्ष, जे. जे.

अमरजीत सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

जोनल मैनेजर, एफ. सी. आई., नई दिल्ली और अन्य-उत्तरदाता

C.W.P. No. 15676 of 1999

20 जुलाई, 2001

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226 - अनुबंध अधिनियम, 1872-धारा 6-वैधता की अवधि से परे याचिकाकर्ता की निविदा की स्वीकृति-याचिकाकर्ता बयाना धन की वापसी की मांग कर रहा है-इनकार-उत्तरदाता विफल

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर, हरियाणा